



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2007, शनिवार/अग्रहायण 11—अग्रहायण 17, 1929
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2007, SATURDAY/AGRAHAYANA 11—AGRAHAYANA 17, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षामंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2007

क्र.आ. 3422.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (कं.अ. ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों और किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में, जिन पर उक्त धारा के उपबंध लागू होते हैं, विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों में उद्भूत अपीलों, पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :-

8. सुरेश कुमार श्रीवास्तव
9. श्रीमती नीलम सिंह
10. सुश्री डी.एस. पूर्णिमा
11. संजीव कुमार यादव
12. मनोज शुक्ला
13. अरविंद कुमार मिश्रा
14. प्रणीत शर्मा
15. ब्रजेश सिंह
16. सुश्री पद्मिनी सिंह
17. अतुल कुमार
18. प्रवीण श्रीवास्तव

[सं. 225/33/2006-ए.वी.डी.-11]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

सचिव

1. वैजम्बो प्रकाश नेगी
2. पंकज गुप्ता
3. एन. नागेन्द्रन
4. मनमोहन शर्मा
5. मितांशु शंखर मिश्रा
6. मतीश चंद्र जायसवाल
7. नरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 22nd November, 2007

S.O. 3422.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal